मेरठ विकास प्राधिकरण

की

104 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 03–12–2014

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 104वीं बैठक दिनांक 03–12–2014 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 104वीं बैठक मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के कार्यालय के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 03–12–2014 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.	श्री राजेश कुमार,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
2.	श्री पंकज यादव,	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
3.	श्री अब्दुल समद	नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ	सदस्य
4.	श्री के0बी0 शुक्ला	सहयुक्त नियोजक, (प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ) सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ।	सदस्य
5.	श्री आई0पी0एस0 पंवार	सहायक आयुक्त उद्योग (प्रतिनिधि अपर निदेशक, उद्योग) मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।	सदस्य
6.	डा0 दिनेश कुमार	संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेन्शन, मेरठ (वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित)।	सदस्य

7.	श्री आर0के0 गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, मेरठ (प्रतिनिधि आवास आयुक्त, मेरठ)	सदस्य
8.	श्री आर0पी0 सक्सैना	अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य
9.	श्री सीताराम	अहलमद, प्रतिनिधि अपर जिलाधिकारी–भूमि अध्याप्ति, मेरठ।	विशेष आमन्त्रित सदस्य
10.	डा0 राजेश सिंह	शासन द्वारा नामित	सदस्य
11.	श्री परमिन्दर इशू	शासन द्वारा नामित	सदस्य
12.	श्रीमती इरशाद जहाँ	शासन द्वारा नामित	सदस्य
13.	श्रीमती मिष्ठा देवी	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
14.	श्री राजेन्द्र सिंह	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
15.	श्री पंकज कतीरा	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
16.	श्री विजय आनन्द	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
17.	श्री सौम्य श्रीवास्तव	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	संयोजक

प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06–09–2014 के कार्यवृत्त की पुष्टिः–

103वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त पर माननीय प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य श्री विजय आनन्द अग्रवाल द्वारा पटल पर 06 आपत्तियाँ प्रस्तुत की गयी। उक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण करते हुए आपत्तियों को कार्यवृत्त में सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये।

आपत्तियों का विवरण एवं निराकरण निम्नानुसार हैः–

क्रमाँक	आपत्ति का विवरण	निरारण
आपत्ति सं0 01	मेरठ विकास प्राधिकरण की विगत 103वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डे के मद संख्या–6 में भू–उपयोग परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव इस शर्त के साथ पारित हुआ था कि श्री अग्रवाल की आपत्ति लगाकर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये लेकिन कार्यवृत्त में श्री अग्रवाल आपत्ति का कोई उल्लेख नहीं है। सीधे ही प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का उल्लेख है।	मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि श्री विजय अग्रवाल की आपत्ति भी शासन को सन्दिर्भित की जाय।
आपत्ति सं0 02	श्री अग्रवाल द्वारा महानगर में वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में सडकें कौन कौन सी किस–किस विभाग द्वारा बनवायी गयी हैं उसमें कार्यदायी संस्था कौन थी और क्या लागत उसमें आयी और किस अधिकारी का आदेश था। सहित सूची उपलब्ध कराने के लिए सूचना माँगी गयी थी, लेकिन कार्यवृत्त में इसका कोई उल्लेख नहीं है।	मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि मेरठ महानगर में वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में प्राधिकरण द्वारा बनवायी गयी सडकों का विवरण मेरठ विकास प्राधिकरण उपलब्ध करा दें। अन्य के विषय में श्री अग्रवाल सम्बन्धित संस्था से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

आपत्ति सं0 03	श्री अग्रवाल द्वारा महानगर की किताब के मुख्य पृष्ठ पर छपे ऐतिहासिक घन्टाघर की टूटी घडी (खराब) की मरम्मत का विषय रखा था जिसका भी कार्यवृत्त में कोई उल्लेख नहीं है।	मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रकरण नगर निगम, मेरठ से सम्बन्धित होने के कारण मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस सम्बन्ध में नगर निगम मेरठ द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध प्राधिकरण बोर्ड द्वारा किया गया।
आपत्ति सं0 04	श्री अग्रवाल द्वारा महानगर में पैदल चलने वाली जनता की सुविधा हेतु महानगर में कहीं भी फुटपाथ नहीं होने का विषय रखा था और आदर्श के रूप में देवनागरी इन्टर कालिज चौराहे से लेकर वैली बाजार चौराहा तक दोनों तरफ फुटपाथ बनवाने का प्रस्ताव रखा था जिस पर कोई आपत्ति नहीं थी। उस जनहित के विषय को भी इस कार्यवृत्त से वंचित रखा गया है।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रकरण को अवस्थापना मद की बैठक में अलग एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
आपत्ति सं0 05	श्री अग्रवाल द्वारा महानगर की पैदल चलने वाली जनता अथवा भारी वाहनों से मेरठ महानगर की सडकों को सुरक्षित करने हेतु जेबरा क्रासिंग तथा सभी चौराहों पर तथा सभी शैक्षिक संस्थाओं के बाहर प्लास्टिक स्पीड ब्रेकर बनवाने का प्रस्ताव रखा था। जिससे बोर्ड के किसी भी सदस्य को आपत्ति नहीं थी। उसे भी इस कार्यवृत्त में शामिल नहीं किया गया है।	प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा श्री अग्रवाल को यह अवगत कराया गया कि नगर निगम क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यवाही नगर निगम द्वारा ही सम्पादित की जा सकती है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपस्थित नगर आयुक्त महोदय से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया।

आपत्ति सं0 06	श्री अग्रवाल द्वारा नगर निगम मेरठ की बैठकों में समय समय पर टाउनहाल में मल्टीलेबिल पार्किंग के विषय को रखा जाता रहा है जिसकी नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा की गयी मजबूत पैरवी से मेरठ विकास प्राधिकरण में इसको बनाने का प्रस्ताव पास किया गया तथा पार्किंग बनवाने की दिशा में काफी तेजी से कार्य को आगे बढाया जा रहा है। किन्तु प्राधिकरण की 103वी बोर्ड बैठक में श्री अग्रवाल द्वारा प्रस्ताव रखा गया था कि टाउन हाल में अन्दर वाले पार्क में पार्किंग बनने से होने वाली परेशानी से बचने के लिए जनता की सुविधा हेतु बाहर वाले छोटे पार्क का सौन्दर्यीकरण किया जाये तथा वहॉ पर Colour full L.E.D. lights लगाकर प्रकाश की व्यवस्था की जाये तथा टाउन हाल के दोनो मुख्य द्वारो का प्रांगण की ऐतिहासिक को दृष्टिगत रखते हुए पुरः निर्माण कराया जाये। परन्तु इस जनहित के मुद्दे को भी कार्यवृत्त में उल्लेखित नहीं किया गया।	प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता द्वारा मा0बोर्ड को यह अवगत कराया गया गया कि छोटे पार्क का सौन्दर्यीकरण मल्टीलेवल प्रार्किंग के विकास के मद में सम्मिलित है।

इसी प्रकार श्री परविन्दर इशू द्वारा बाह्य विकास शुल्क के विषय में निम्नलिखित आपत्ति दर्ज की गयी। श्री इशू की आपत्ति का भी निराकरण करते हुए आपत्ति को कार्यवृत्त में सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये।

आपत्ति का विवरण एवं निराकरण निम्नानुसार हैः—

श्री इशू द्वारा माननीय बोर्ड के माध्यम से बाह्य विकास शुल्क की सूचना चाही गयी थी। इस सम्बन्ध में श्री इशू को मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बाह्य विकास शुल्क से सम्बन्धित जो सूचना उपलब्ध करायी गयी है वह मा0 बोर्ड के समक्ष प्रेषित बजट प्रस्ताव से मेल नहीं खाती है। श्री इशू द्वारा बाह्य विकास शुल्क से सम्बन्धित सही सूचना उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया।	माननीय बोर्ड द्वारा श्री इशू को बाह्य विकास शुल्क से सम्बन्धित सही सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
मेरठ महानगर के मुख्य चौराहों–ईव्ज चौराहा, बच्चा पार्क चौराहा, बेगम ब्रिज चौराहा व दैनिक जागरण चौराहा पर यातायात सुरक्षा एवं जाम के दृष्टिगत 11/33 के0वी0ए0 विद्युत लाईनों को केबिल द्वारा अण्डर ग्राउण्ड कराने का प्रस्ताव रखा गया।	मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि परीक्षण कर प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी अवस्थापना बैठक में रखा जाये।
उपरोक्त आपत्तियों व उनके निराकरण को सम्मिलित करते हुए 103वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।	
81 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 18–02–2008 व 82वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30–04–2008 के मद सं0 2 व 8 की अनुपालन आख्या–	
मद सं0 2	दिल्ली रोड पर निर्मित बारातघर को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।
	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए निर्देश दिये गये कि अवैध निर्माण की बढ़ती प्रवृत्ति को निस्तारित करने हेतु प्राधिकरण द्वारा एक **ध्वस्तीकरण पखवाडा** चलाये जाने की

मद सं0 8	मैसर्स दीवान दौलतराम एजुकेशन फाउण्डेशन का शैक्षिक मानचित्र सं0 115/07 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	एक माह के अन्दर योजना तैयार की जाये, जिसमें सर्वप्रथम क्षेत्रीय अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ताओं से अनाधिकृत निर्माणों का स्थलीय सर्वेक्षण कराकर अनाधिकृत निर्माण चिन्हित कराकर बडे निर्माणों की ध्वस्तीकरण व सीलिंग की कार्यवाही की जाये। उक्त अभियान में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन का भी समुचित सहयोग ले लिया जाये।
प्राधिकरण की 96वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 19–12–2011 की अनुपालन आख्या–		
मद सं0 20,	पल्लवपुरम आवसीय योजना फेस–द्वितीय को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किया जाना।	मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, मेरठ द्वारा आई0आई0टी0 रूड़की से निर्माण कार्यो की गुणवत्ता जाँच विषयक रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत की गयी। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि भविष्य में यदि प्राधिकरण नगर निगम को हस्तान्तरित कालोनियों में अपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु धनराशि अन्तरित की जाती है तो उक्त निर्माण कार्यो का सत्यापन बोर्ड द्वारा गठित एक समिति जिसमें मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, मेरठ, मुख्य अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ तथा मा0 बोर्ड के सदस्य सम्मिलित होंगे। इस निर्देश के साथ प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
मद सं0 21	श्रद्धापुरी फेस–1 आवसीय योजना फेस–द्वितीय को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किया जाना।	
मद सं0 22	गंगानगर आवसीय योजना फेस–द्वितीय को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किया जाना।	

अनुपूरक प्रस्ताव–101वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 26–02–2014

अनुपूरक मद सं0 04	**मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत् अधिकारियों, कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के भुगतान की प्रक्रिया को सरल किये जाने के सम्बन्ध में।**	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित करते हुए निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 50,000/– (पचास हजार मात्र) तक सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण व रू0 50,000/– से रू0 2,00,000/– तक की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को चिकित्सा सेवा नियमावली–2011 यथा संशोधित में निदिष्ट नियमों/प्रारूप के आधार पर समायोजन की कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया तथा रू0 2,00,000/– से अधिक व्यय का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।.
अनुपूरक मद सं0 05	प्राधिकरण में कार्यरत् सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्राधिकरण कार्य हेतु चार पंहिया निजी वाहन प्रयोग करनें पर वाहन भत्ता रूपये 2000/– प्रति माह के स्थान पर रूपये 3000/– प्रति माह दिये जाने का प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं को देय वाहन भत्ता पूर्व की भांति रू0 2,000/– हीं यथावत रखा जाये।

अनुपूरक मद सं0 13	प्राधिकरण में कार्यरत् विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा के समूह–'ग' व 'घ' के कर्मचारियों को प्रति माह मोबाईल भत्ता अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव।	माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण बोर्ड के नामित जनप्रतिनिधिगण जो सदस्य के रूप में नामित है, उनके टेलीफोन नम्बर भी वेबसाईट पर अपलोड किये जाये। इसके साथ प्राधिकरण बोर्ड में एन0सी0आर0 सैल व शासकीय विभागों के नामित पदेन सदस्यों के टेलीफोन नम्बर भी वैबसाईट पर उपलब्ध कराये जाय। इस निर्देश के साथ प्रस्ताव का अनुपालन अवलोकित किया गया।
अनुपूरक मद सं0 15	प्राधिकरण योजनाओं कें मध्यम अनधिग्रहीत भूमि को समायोजन के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन अवलोकित किया गया।
प्राधिकरण की 102वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 18–06–2014 कीं अनुपालन आख्या–		
मद सं0 03	पल्लवपुरमं आवासीय योजना पाकेट–जे में आवंटित व्यवसायिक भूखण्डों पर अवैध कब्जा धारकों को प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कॉम्पलेक्स में दुकान दिये जाने के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड़ द्वारा निर्देश दिये गंये कि पारदर्शी रूप से एक माह की समय–सीमा के अन्तर्गत नियम संगत रूप से अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर लिया जाये।
मद सं0 04	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न	मा0 बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। मा0 बोर्ड

	योजनाओं में निर्मित सामुदायिक केन्द्रों का अनुरक्षण/संचालन जन सहभागिता के माध्यम् से करने हेतु फर्मस/संस्थाओं/व्यक्तियों को ठेके पर दिये जाने के सम्बन्ध में।	द्वारा निर्देश दिये गये कि ऑफरदाता से जमानत राशि के रूप में रू0 1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र) की धनराशि जमा कराये जाये तथा शर्तों में इस बात का भी उल्लेख किया जाये कि जन सामान्य के सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधानों का उल्लेख अनुबन्ध पत्र में अनिवार्य रूप से किया जाये।
मद सं0 06	फार्म हाउस, क्लब, वोटेनिकल गार्डन आदि मानचित्रों पर वाहय विकास शुल्क आच्छादित क्षेत्रफल पर लिये जाने का प्रस्ताव।	प्रश्नगत प्रस्ताव पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से प्राप्त अभिमत से माननीय बोर्ड को अवगत कराया गया। तत्क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 में उल्लिखित प्राविधानों पर समयक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण/प्रस्ताव के निस्तारण किये जाने हेतु स्पष्ट अभिमत प्राप्त किये जाने के लिये प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का मा0 बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया।
मद सं0 07	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में निविदा–सह–नीलामी पद्धति से सम्पत्तियों के निस्तारण हो जाने के पश्चात् नीलामीदाता के डिफाल्टर हो जाने पर सम्पत्ति के निरस्तीकरण व बहाली तथा धनराशि की वापसी विषयक प्रस्ताव।	माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 09	ओ0टी0एस0योजना 2005 का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	(104वीं बोर्ड बैठक के मद सं0 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर माननीय बोर्ड द्वारा पारित निर्णय के अनुसार।)
मद सं0 13	दण्ड ब्याज सहित परिसम्पत्तियों का मूल्य सम्पत्ति की वर्तमान कीमत से अधिक होने पर पूर्व में जमा धनराशि समायोजित करते हुए एक मुश्त भुगतान करके रजिस्ट्री की अनुमति के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 06–09–2014 की अनुपालन आख्या–		
मद सं0 01	रूडकी रोड पर ग्राम–मुकर्रबपुर पल्हैडा, रोशनपुर डोरली व पीलना सोफीपुर की भूमि पर पल्लवपुरम फेस–तृतीय के स्थान पर ग्राम–रिठानी, नंगला शेरखॉ उर्फ जैनपुर, नूरनगर, मौहम्मदपुर गुम्मी एवं लिसाडी की भूमि पर न्यू टाउनशि विकसित करने हेतु भूमि अर्जन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 02	मेरठ विकास प्राधिकरण की वेदव्यासपुरी आवासीय योजना में आई0टी0 पार्क के स्थापना हेतु साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्कस् ऑफ इण्डिया (एस0टी0पी0आई0) को 10102 वर्ग मीटर भूमि 30 वर्ष की लीज पर निःशुल्क उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड की प्रगति आख्या के रूप में निम्न तथ्य से अवगत कराया गया कि माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा दिनांक 10–11–2012 को मेरठ आगमन पर मेरठ विकास प्राधिकरण की वेद व्यासपुरी योजना में आई0टी0 पार्क स्थापना किये जाने की घोषणा की गयी थी। मेरठ विकास प्राधिकरण की वेद व्यासपुरी योजना के सेक्टर 2 में आई0टी0पार्क हेतु 28785 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित की गयी है जिसमें से 10102 वर्ग मीटर भूमि एस0टी0पी0आई0 को निशुल्क 30 वर्ष की लीज पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की 103 वीं बोर्ड बैठक के मद सं0 2 पर अनुमोदन प्रदान हो गया है। एस0टी0पी0आई0 को दी जाने वाली 2.50 एकड़ भूमि पर एस0टी0पी0आई0 द्वारा अपने वित्तीय श्रोतो से आवश्यक निर्माण/विकास कार्य सम्पादित कर सूचना प्राद्यौगिकी का संचालन किया जायेगा। सूचना प्राद्यौगिकी पार्क के विकास के सम्बन्ध में सूचना प्राद्यौगिकी नीति उत्तर प्रदेश–2012 में दी गयी गाईड लाईन के आधार पर नीति क्रियान्वयन ईकाई यू0पी0इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन के माध्यम से मॉडल–2 (In association with S.T.P.I.) का चयन किया गया है। एस0टी0पी0आई0 (सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इण्डिया) भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्राद्यौगिक मन्त्रालय का उपक्रम

		है तथा देश के विभिन्न राज्यों में सूचना प्राद्यौगिकी पार्क का निर्माण एवं विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश सूचना प्राद्यौगिकी नीति 2012 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 1 के शासनादेश सं0 899/आठ–1–13–178 विविध/2012 दिनांक 28 मार्च 2013 में दी गयी व्यवस्था/निर्देश के आधार पर एस0टी0पी0आई0 को निशुल्क दी जाने वाली भूमि जिसका मूल्य रूपये 8,33,41,500/– की प्रतिपूर्ति इस योजना में अनावंटित 86512.00 वर्ग मीटर भूमि पर भारित करते हुए की जायेगी। सूचना प्राद्यौगिक पार्क को विकसित किये जाने हेतु 10110 वर्ग मीटर एस0टी0पी0आई0 आई निशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की 103 वीं बोर्ड बैठक में प्रस्ताव का अनुमोदन होने के उपरान्त इस सन्दर्भ में एस0टी0पी0आई0 व मेरठ विकास प्राधिकरण के मध्यम निष्पादित समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू) से सन्दर्भित कार्य एंवं मार्ग दर्शन उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रोनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश शासन को पत्रांक 1155/ई.ई.2/2014 दिनांक 09–10–2014 भेजा गया है। तदोपरान्त पत्रांक 1174/ई.ई.2/2014 दिनांक 07–11–2014 द्वारा भेजा गया है। शासन के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही जायेगी।
मद सं0 03	प्राधिकरण हेतु कार क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 04	ग्रुप हाउसिंग एवं व्यवसायिक उपयोग की मानचित्रों में एफ0ए0आर0 निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
मद सं0 05	नगरीय क्षेत्रो में मुख्य मार्गो पर सीमित गहराई तक मिश्रित भू–उपयोग निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रस्ताव को प्राधिकरण की वेबसाईट एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कर, एक माह का समय प्रदान करते हुए जन सामान्य से आपत्ति/सुझााव प्राप्त कर लिये जाये। तदोपरान्त विस्तृत विश्लेषण कर संशोधित प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
मद सं0 06	भू–उपयोग परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
मद सं0 07	भू–उपयोग परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
अनुपूरक प्रस्ताव 103वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 06–09–2014		
अनुपूरक मद सं0 01	मेरठ विकास प्राधिकरण की स्पोटर्स गुडस योजना में 1940.00 वर्ग मीटर भूमि	(104वीं बोर्ड बैठक के मद सं0 06 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर माननीय बोर्ड द्वारा पारित निर्णय के अनुसार।)

	लोडिंग/अनलोडिंग तथा 1785.00 वर्ग मीटर भूमि मैटिरियल डिपो हेतु आरक्षित उपयोग को आवास/कार्यशाला उपयोग में परिवर्तन करने तथा 1760.00 वर्ग मीटर भूमि को पर्चेजिंग सेन्टर के स्था पर पर्चेंजिंग सेटर/नेबरहुड शॉपिंग किये जाने के सम्बन्ध में।	
अनुपूरक मद सं0 02	हापुड. रोड पर प्राधिकरण की लोहिया नगर योजना के अन्तर्गत मस्जिद के समीप गाटा सं0–340 (पार्ट). तथा 385 (पार्ट) स्थित ग्राम काजीपुर, मेरठ कुल क्षेत्रफल 21187.00 वर्ग मीटर भूमि का भू–उपयोग कार्यालय से आवासीय में परिवर्तन किये जाने सम्बन्ध में।	जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय की परीक्षण आख्या में कोई प्रतिकूल तथ्य न होने के कारण अवलोकित करते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद सं0 03	निर्मित आवासीय क्षेत्र में उपविभाजन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा निम्नलिखित निर्देश के साथ अनुमोदित किया। निर्मित आवासीय क्षेत्र में उपविभाजन सड़क की न्यूनतम् चौड़ाई के साथ मूल भूखण्ड के ऊपर अनुमन्य यूनिट की संख्या के आधार पर अनुमन्य होगा, फ्रन्ट सैटबैक भी मूल भूखण्ड पर अनुमन्यता के अनुसार देय होगा अर्थात् यदि मूल भूखण्ड पर तीन यूनिट अनुमन्य है तब उपविभाजित भूखण्ड का न्यूनतम् एरिया कम से कम 100 मीटर रखते हुए भूखण्ड तीन भूखण्डों में विभाजित हो सकेगा तथा प्रत्येक भूखण्ड पर एक ही यूनिट अनुमन्य होगी, फ्रन्ट सैटबैक मूल भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार अनुमन्य होगा तथा साईट सैटबैक उपविभाजित भूखण्डों के क्षेत्रफल के आधार पर अनुमन्य होगा।
104वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03–12–2014 में प्रस्तुत प्रस्ताव–		
मद सं0 01	वाहय् विकास शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र/तलपट मानचित्र स्वीकृति हेतु विकास शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी अधिसूचना सं0 1811/8–3–14–211विविध/13 लखनऊ दिनांक 17 नवम्बर, 2014 (संलग्न) को यथावत् अंगीकृत किया गया।

मद सं0 02	आवासीय योजनाओं में सार्वजनिक शौचालय, सिटी बस स्टाप, पैदल यात्रियों के लिए अण्डर पास/फुट ऑवर ब्रिज, वेन्डिंग जोन, सॉलिड वेस्ट मैंनेजमेन्ट ट्रांसफर स्टेशन, सैनिटरी लैण्डफिल साईट आदि का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में।	विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में सार्वजनिक शौचालय, सिटी बस स्टाप, पैदल यात्रियों के लिए अण्डर पास/फुट ऑवर ब्रिज, वेन्डिंग जोन, सॉलिड वेस्ट मैंनेजमेन्ट ट्रांसफर स्टेशन, सैनिटरी लैण्डफिल साईट आदि का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0–10/2730/आठ–1–14–129 विविध/2012 दिनांक 21 सितम्बर, 2014 में उल्लिखित तालिका में दिये गये मानकों को मेरठ विकास प्राधिकरण की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2011) के अध्याय–2 के प्रस्तर–2.4 सामुदायिक सुविधाओं तथा अन्य उपयोगों/क्रियाओं हेतु मानक, क्रमाँक–7 के रूप में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
मद सं0 03	प्राधिकरण कर्मचारी का आकस्मिक निधन हो जाने पर मृतक कर्मचारी के परिवार को तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रस्ताव।	माननीय बोर्ड द्वारा 06 प्रकरणों (श्री प्रदीप कुमार, मेट, श्री राजकुमार, सफाई कर्मचारी, श्री बृजपाल, माली, श्री नानकचन्द, बढ़ई, श्री गजब सिंह, मेट व श्री हिम्मत सिंह, अनुचर) में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत समूह 'ग' व 'घ' के कर्मचारियों का निधन होने पर तत्काल सहायता के रूप में रू0 15,000/– (रूपये पन्द्रह हजार) का भुगतान (नोन रिफण्डेबल) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं0 04	मेरठ विकास प्राधिकरण में दिनांक 29 जून, 1991 के बाद दैनिक वेतन/वर्कचार्ज पर रखे गये, चतुर्थ श्रेणी के ऐसे 10 कर्मचारी, जिनका विनियमितिकरण नहीं हुआ है, को छठा वेतनमान के अनुरूप वेतन लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।	मेरठ विकास प्राधिकरण में दिनांक 29जून, 1991 के बाद दैनिक वेतन/वर्कचार्ज पर रखे गये चतुर्थ श्रेणी के ऐसे 10 कर्मचारी, जिनका विनियमितिकरण नहीं हो सका है, को शासनादेश संख्या 581/आठ–5–09–60ई/08 दिनांक 02 मार्च, 2009 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों में विभिन्न पदों हेतु दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में चतुर्थ श्रेणी के पूर्व वेतनमान 2550–3200 को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1एस सादृश्य वेतनमान 4440–7440, ग्रेड वेतन 1300 में रखकर वेतनमान का न्यूनतम मूल वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जा रहा है। इन कर्मचारियों की लखनऊ विकास प्राधिकरण की तर्ज पर की गयी सामूहिक माँग पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ कि उक्त शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य वेतन बैण्ड–1 5200–20200 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 1800 के न्यूनतम वेतन एवं भत्तो के सापेक्ष किसी प्रकार का कोई एरियर देय नहीं होगा, आदेश दिनांक 27–10–14 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त प्रतिबन्ध यथावत् रखते हुए माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद सं0 05	प्राधिकरण की वेद व्यासपुरी, बोईपास रोड़ के सेक्टर 7 के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में	माननीय बोर्ड को यह अवगत कराया गया कि भारत सरकार के खेल मन्त्रालय की स्कीम "Scheme for Grant of Sports Infrastructure" के तहत जिला स्तर पर स्पोर्टस् कॉम्पलेक्स बनाये जाने के कार्य हेतु

	स्टेडियम हेतु आरक्षित भूमि का उपयोग स्टेडियम के स्थान पर न्यू मेरठ स्पोर्टस् कॉम्पलेक्स किये जाने के सम्बन्ध में।	अधिकतम् 2 करोड़ की धनराशि तक जो समान रूप से (50:50) केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी, का सबसिडी दिये जाने का प्राविधान है। माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए अतिशीघ्र प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार के खेल मन्त्रालय को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।
मद सं0 06	मेरठ विकास प्राधिकरण की स्पोर्टस् गुड़स योजना में 1940 वर्ग मीटर भूमि लोडिंग/अन लोडिंग तथा 1785 वर्ग मीटर भूमि मैटिरियल डिपों हेतु आरक्षित उपयोग को आवास/कार्यशाला उपयोग में परिवर्तन करने तथा 1760.00 वर्म मीटर भूमि को पर्चेजिंग सेन्टर के स्थान पर पर्चेजिंग सेन्टर/ नेबरहुड शॉपिंग किये जाने के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में स्पोर्टस गुड़स् योजना से जुड़े उद्यमियों व प्रतिनिधियों की एक बैठक एक माह के अन्दर आयोजित की जाये तथा प्रस्ताव को पुनः अगली बोर्ड बैठक में सुझावों को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत किया जाये।
मद सं0 07	ग्रुप हाउसिंग एवं व्यवसायिक उपयोग की मानचित्रों में एफ0ए0आर0 निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा निम्नलिखित निर्देश के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया:– 1. बेसिक एफ0ए0आर0 2.5 अनुमोदित किया परन्तु 1.5 एफ0ए0आर0 से 2.5 एफ0ए0आर0 परचेजेबल होगा जिसमें दरें वर्तमान जिलाधिकारी (सर्किल रेट) अथवा प्राधिकरण की

		आवासीय दर जो भी ज्यादा हो, लगायी जायेगी। 2. योजनाओं में स्थल पर प्राधिकरण से आवंटित सभी रिक्त भूखण्डों (Unsold Property Or registered) पर इस सुविधा का लाभ अनुमन्य होगा।
मद सं0 08	कार्यालय भूउपयोग के अन्तर्गत श्री गांधी आश्रम द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक मानचित्र संख्या 246/14 एवं उद्योग भूउपयोग के अन्तर्गत मै0 राजकमल फर्नीशिंग द्वारा प्रस्तुत बारातघर मानचित्र संख्या 735/14 की विशेष अनुमति उपरान्त मा0 बोर्ड से अनुमोदन हेतु प्रस्तावः–	कार्यालय भूउपयोग के अन्तर्गत शैक्षिक मानचित्र संख्या 246/14 तथा उद्योग भूउपयोग के अन्तर्गत बारातघर के मानचित्र संख्या 735/14 की विशेष अनुमति का प्रस्ताव माननीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
मद सं0 09	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के आवास के निर्माण के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद सं0 10	जिला उद्योग बन्धु की बैठक में इण्डियन इन्डस्ट्री एसोसिएशन की माँग पर दिल्ली रोड़ पर दैनिक	माननीय बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि मेरठ महायोजना के अनुसार ही रोड 76 मी0 चौडी रखी जाये।

	जागरण चौराहे से परतापुर फ्लाई ओवर तक दिल्ली रोड़ की चौड़ाई वर्तमान महायोजना में 76 मीटर से घटाकर 45 मीटर करने के सम्बन्ध में।	
मद सं0 11	ओ0टी0एस0 योजना 2005 का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि के अतिरिक्त देय अन्य धनराशि अध्यावधिक नियमानुसार ब्याज सहित जमा कराकर प्रकरण का निस्तारण किया जाये।
104वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03–12–2014 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव–		
अनुपूरक मद सं0 01	श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री रविन्द्रपाल सिंह द्वारा खसरा संख्या–155 (आंशिक) ग्राम लखवाया रसूलपुर, तहसील एवं जिला मेरठ पर फिलिंग स्टेशन (पेट्रोल/डीजल पम्प) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपूरक मद सं0 02	भू–उपयोग परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	माननीय बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया एवं अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपूरक मद सं0 03	वेदव्यासपुरी, डा0 राम मनोहर लोहिया नगर व गंगानगर एवं गंगानगर विस्तार योजनाओं के अन्तर्गत अर्जित भूमि के किसानों द्वारा शताब्दी नगर योजना की तर्ज पर प्रतिकर/मुआवजा दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव पर जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी जिसमें सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) मेरठ तथा श्री राजेन्द्र सिंह व श्रीमती मिष्ठा देवी, (नामित सदस्य), सदस्य होंगे तथा समिति की प्रथम बैठक दिनांक 09–12–2014 को अपरान्ह 1.00 बजे निर्धारित की गयी। माननीय बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि समिति सम्बन्धित प्रतिनिधियों से वार्ता करें तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा इस सन्दर्भ में क्या प्रक्रिया अपनाई गयी है, परीक्षण/अध्ययन कर रिपोर्ट आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।
अनुपूरक मद सं0 04	उ0प्र0 नगर योजना और विकास (नगरीय विकास प्रभार का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण) नियमावली–2014 लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	नगरीय विकास प्रभार का निर्धारण करने हेतु शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–2122/8–3–14–211 विविध/13 लखनऊ दिनांक 17 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी ''उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (नगरीय विकास प्रभार का निर्धारण, उदग्रहण और संग्रहण) नियमावली'' के अन्तर्गत उल्लिखित दर रूपये 200/– मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ विकास क्षेत्र हेतु अंगीकृत किया गया।
अनुपूरक मद सं0 05	वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्ताव–

1. श्री परमिन्दर इशू, शासन द्वारा नामित सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव– माननीय सदस्य द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 4 अन्य प्रस्ताव पस्तुत किये।

(1)	माननीय नामित सदस्य द्वारा इस आशय का प्रस्ताव रखा गया कि देश की सभी बड़े शहरों की सेन्ट्रल वर्ज को प्राधिकृत कम्पनियों को आऊट सोर्स कर कर उनकी खूबसूरती एवं हरियाली बनाये रखी जाती है। अतः इस सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड क्षरा भी एक नीति निर्धारित कर इस पर विचार कर लिया जाये।	माननीय बोर्ड द्वारा यह निर्देश किया गया कि प्राधिकरण अपनी योजना क्षेत्र पर इस पर विचार कर लें। बैठक में उपस्थित नगरायुक्त को भी नगर निगम क्षेत्र के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिया गया।
(2)	माननीय नामित सदस्य द्वारा शहर के चारों प्रमुख चौराओं – दैनिक जागरण चौराहा, ईव्ज चौराहा, बेगम पुल चौराहा और बच्चा पार्क की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह प्रस्तावित किया गया कि इनके ऊपर से गुजरने वाली 33के0वी0ए0 एवं 11के0वी0ए0 की लाईनों को अवस्थापना निधि के अन्तर्गत क्रमवार रूप से अन्डर ग्राऊण्ड करने पर विचार कर लिया जाये।	माननीय बोर्ड द्वारा यह निर्देशित किया गया कि वित्तीय संसाधनों का आंकलन करते हुए चरणबद्ध रूप में इस प्रस्ताव पर अवस्थापना निधि की बैठक में विचार कर लिया जाये।

(3)	माननीय सदस्य द्वारा प्रतावित किया गया कि दिल्ली की तरफ से मेरठ में जब आगमन होता है तो जनपद मेरठ की एतिहासिकता को दृष्टिगत रखते हुए एक **"Sense of arrival"** स्थापित किया जाये जिससे शहर के महत्व का अहसास हो सके।	माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि इसको भी अवस्थापना निधि की बैठक में एजेण्डे के रूप में सम्मिलित कर विचार कर लिया जाये।
(4)	माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया गया कि पांडव नगर योजना के पॉकेट जी में 72 फ्लैट आवंटित है किन्तु यहाँ पर सभी अवस्थापना सुविधाओं–पेय जल, सीवर डिस्पोजल आदि का बेहद अभाव है। अतः इनकी व्यवस्था की जाय।	माननीय बोर्ड द्वारा यह निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित योजना के मद के अन्तर्गत वाँछित सुविधायें क्रमवार रूप में उपलब्ध करा दी जाये।
2. श्री राजेन्द्र सिंह, नगर निगम द्वारा नामित सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव–		
	माननीय सदस्य द्वारा माननीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत अपने पत्र दिनांकित 21–11–2014 के माध्यम से प्राधिकरण की शताब्दीनगर, लोहियानगर व वेद व्यासपुरी योजना हेतु वर्ष 1987 में अधिगृहित की गयी कृषि भूमि के खसरा नम्बरों में बनी आबादी का प्राधिकरण ने स्थल का सर्वेक्षण, अभिनिर्णय घोषित होने से पूर्व कराया था। सर्वेक्षण आख्या में अंकित आबादी के कुछ खसरा नम्बरों को अभिनिर्णय में अर्जन से पृथक कर दिया गया था, परन्तु कुछ खसरा नम्बर अर्जन से पृथक किये जाने से	इस सम्बन्ध में माननीय बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि शासन में विचाराधीन प्राधिकरण के भू–अर्जन से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों को संलग्नकों के रूप में संलग्न करते हुए एक अनुस्मारक पत्र शासन को प्रेषित करें।

	छूट गये थे। ऐसे शेष खसरा नम्बरों को जिन पर सर्वे रिपोर्ट में आबादी अंकित थी, ग्रामवार ऐसे नम्बरान का विवरण उल्लिखित करते हुए भूमि अर्जन मुक्त कराने हेतु प्रस्ताव बोर्ड बैठक में शामिल करने के निवेदन के साथ प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने का निवेदन किया गया।	

3. डा0 राजेश सिंह, शासन द्वारा नामित सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव–

	शास्त्रीनगर एल ब्लाँक तिराहे से बिजली बम्बा तक पथ प्रकाश व्यवस्था कराने का निवेदन किया गया।	माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि इसको भी अवस्थापना निधि की बैठक में एजेण्डे के रूप में सम्मिलित कर विचार कर लिया जाये।

2. जिलाधिकारी, मेरठ, सदस्य माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव–

माननीय सदस्य द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 03 बिन्दुओं पर प्रस्ताव पस्तुत किये।

(1) प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित हरित पट्टियों पर अवैध निर्माण की समस्या–	समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से ज्ञात हुआ है कि मेरठ शहर में प्राधिकरण, आवास विकास व नगर निगम के प्रशासनिक नियन्त्रण वाली हरित पट्टियों भू–माफियों द्वारा अनाधिकृत कब्जें किये जा रहे है। इस सम्बन्ध में उक्त तीनों विभागों को मिलकर ऐसे अवैध कब्जों की पहचान करने व उन्हें हटाने के बारे में गम्भीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है	इस सम्बन्ध में माननीय बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि हरित पट्टियों पर संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया जाये तथा निर्णय लिया गया कि जिला प्रशासन के नेतृत्व में विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास

	ताकि शहर क्षेत्र में हरित पट्टियों को न केवल सुरक्षित किया जाये बल्कि इन्हें पूर्ण रूप से हरा भरा बनाया जाये। कृपया इस सम्बन्ध में माननीय बोर्ड चर्चा उपरान्त सुसंगत निर्णय लेना चाहे।	परिषद एवं नगर निगम की एक टीम गठित कर हरित पट्टी से अतिक्रमण हटाया जाये।
(2) मेरठ शहर में साईकिल यातायात को प्रोत्साहनं–	माननीय मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने पत्र सं0 489/83–अव0–14–51(अवस्थापना)/2014 दिनांक 10–11–2014 (प्रति संलग्न) के माध्यम से यह निर्देश दिये गये है कि प्रदेश के विकास प्राधिकरण सड़कों के किनारे किनारे साईकिल ट्रेक व साईकिल पार्किंग स्थलों को चिन्हांकित कर विकसित करें। इसके अतिरिक्त पत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा भविष्य में विकसित की जानेवाली विकास योजनाओं/टाउनशिप्स योजनाओं हेतु तैयार की जाने वाली डी0पी0आर0 एवं ले–आउट में साईकिल ट्रेक्स का प्राविधान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य निर्देश भी पत्र में है जिन पर माननीय बोर्ड इस बैठक में चर्चा कर सकता है।	माननीय बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे स्थलों को चिन्हित कर विकसित करने के निर्देश दिये गये।
(3) कागज/पेपर के उपयोग की	प्राधिकरण द्वारा विभिन्न बैठकों के एजेण्डें, कार्यवृत्त व अन्य पत्राचार में पेपर के एक ओर पर ही प्रिन्ट लेकर प्रयोग में लाया जा रहा है। इससे न केवल पेपर का दोगुणा प्रयोग होता है बल्कि यह अन्ततः प्रर्यावरण को भी दीघ्रकालीन नुकसान	माननीय बोर्ड द्वारा डबल साईड प्रिन्ट करने के निर्देश दिये गये।

मित्व्ययता–	पहुँचाता है। अतः उचित होगा कि यथा सम्भव पेपर के दोनों ओर प्रिन्ट लिया जाये ताकि लोक हित व राष्ट्र हित में पेपर की बचत की जा सके जिस पर माननीय बोर्ड इस बैठक में चर्चा कर सकता है।	

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(सौम्य श्रीवास्तव)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(राजेश कुमार)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(भूपेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।